लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ

दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 की सम्पन्न हुई कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक संख्या 6/2018 की कार्यवाही

उपस्थिति

1. प्रो0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. प्रो0 आर0के0 सिंह, प्रति कुलपति	–	सदस्य
3. प्रो0 अमिता बाजपेयी, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	–	सदस्य
4. प्रो0 कालीचरन स्नेही	–	सदस्य
5. प्रो0 दिनेश कुमार	–	सदस्य
6. प्रो0 राम मिलन	–	सदस्य
7. प्रो0 एस0के0 शुक्ला	–	सदस्य
8. श्री संजय मेधावी	–	सदस्य
9. डॉ0 रंगोली चन्द्रा	–	सदस्य
10. डॉ ए0ए0 फारुकी	–	सदस्य
11. श्री एस0के0 शुक्ल, सचिव	–	सचिव

बैठक आरम्भ करने से पूर्व कार्य परिषद अध्यक्ष मा0 कुलपति जी द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुये आकस्मिक बैठक आहूत किये जाने के कारणों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया, तत्पश्चात् कुलसचिव/सचिव कार्यपरिषद द्वारा प्रो0 आर0के0 सिंह, समाज कार्य विभाग की प्रतिकुलपति पद पर नियुक्ति के विषय से कार्यपरिषद को सूचित किया गया। कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से प्रो0 आर0के0 सिंह की प्रतिकुलपति पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय द्वारा की गयी कार्यवाही का अनुमोदन किया। तदोपरान्त मा0 अध्यक्ष तथा कार्यपरिषद के अन्य सदस्यों द्वारा कार्यपरिषद के नवागत सदस्य प्रो0 आर0के0 सिंह का स्वागत किया गया एंव कुलपति/अध्यक्ष कार्यपरिषद द्वारा प्रो0 आर0के0 सिंह को कार्यपरिषद के सदस्य के रुप में शपथ ग्रहण कराया गयी। कार्यपरिषद ने प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी निवर्तमान प्रति कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, के विश्वविद्यालय/कार्यपरिषद में योगदान एंव सहयोग की सराहना करते हुये उनका आभार व्यक्त किया। तदोपरान्त कुलसचिव/सचिव कार्य परिषद द्वारा कार्यपरिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति/अनुरोध पर मा0 कुलपति जी ने कार्यवाही प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की।

बैठक की कार्यवाही 6/2018

मद सं 01 – परिषद द्वारा दिनांक 22.10.2018 को सम्पन्न विद्या परिषद की बैठक की संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान करना एंव पी0एच0डी0 अध्यादेश को स्वीकृत करने पर विचार करना।

दिनांक 22.10.2018 को सम्पन्न विद्या परिषद की कार्यवाही से परिषद अवगत हुयी,एंव विद्या परिषद की संस्तुतियों पर कार्य परिषद ने अनुमोदन प्रदान किया, तथा लखनऊ विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 2018 एंव लखनऊ विश्वविद्यालय एम0 फिल0 अध्यादेश 2018 पर विद्या परिषद की संस्तुति अनुसार कार्य परिषद ने स्वीकृति प्रदान की।

Scanned by CamScanner

(ब) — प्रो0 जे0बी0 वैशम्पायन तत्कालीन विभागाध्यक्ष व्यवहारिक अर्थशास्त्र विभाग के प्रकरण में माननीय श्री कुलाधिपति लखनऊ विश्वविद्यालय, राजभवन, लखनऊ उ0प्र0 के आदेश सं0 ई0– 8970/जी0एस0 दिनांक 06.10.2017 द्वारा न्यायमूर्ति आर0बी0 मिश्रा, सेवानिवृत्त कार्यवाहक, चीफ जस्टिस, हिमांचल प्रदेश उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति की जाँच आख्या प्राप्त करना एवं विचार करना।

मा0 कुलाधिपति महोदय के द्वारा आदेश सं0 8970(जी0एस0) दिनांक 06.10.2017 से प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन, प्रोफेसर व अन्य दो के सम्बन्ध में जॉच समिति गठित की गयी थी। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री आर0बी0 मिश्रा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश,श्री बी0के0 खत्री एंव पूर्व कुलपति प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल की तीन सदस्यीय जॉच समिति की जॉच रिपोर्ट दिनांक 18.09.2018 को सीलबन्द लिफाफे में मा0 कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय को सौंपी गयी। सीलबन्द लिफाफे को प्राप्त आदेश के अनुपालन में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 22.10.2018 को सभी सदस्यों के समक्ष खोला गया। जॉच समिति का निष्कर्ष निम्नवत हैं :–

"In the Light of the discussions as above, the Enquiry Committee is of the considered view that the charge framed against the three Professors namely (1) Prof. J.V.Vaishampayan (2) Prof. Rachna Mujoo and (3) Prof. R.K. Maheshwari has been found not proved."

उक्त निष्कर्ष को यथावत् स्वीकार किया गया।

बैठक के अन्त में कुलसचिव/सचिव कार्यपरिषद द्वारा सभापति सहित बैठक में प्रतिभागी सभी सदस्यों का आभार/धन्यवाद ज्ञापित किया तथा कुलपति/अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

एस0के0शुक्ल
कुलसचिव/सचिव

प्रो0 एस0पी0सिंह
कुलपति/अध्यक्ष

Scanned by CamScanner